न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–02, मुरादाबाद

पीठासीन अधिकारी– कृष्ण कुमार सिंह–II (उच्चतर न्यायिक सेवा)
(आई0डी0 नं0–यू0पी0 6386)

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–671/2026

गुलाम पुत्र मुखत्यार, निवासी मौ0–चौक दीपासराय, थाना–नखासा, जनपद–सम्भल,
———प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य

———अभियोजन/विपक्षी

एस0टी0 नं0–900/2017,
अपराध सं0–591/2014,
धारा–147,148,149,307,336,
504,506 भा0दं0सं0,
थाना–सम्भल, जिला–सम्भल,

09.03.2026

जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण

1. प्रार्थी/अभियुक्त गुलाम द्वारा उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, उक्त अभियोग के अन्तर्गत जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त पर कथित घटना की दिनांक 23.10.2014 को समय शाम 05:00 बजे थाना–सम्भल, जिला–सम्भल की सीमा के अंतर्गत, मदरसा खलील उल उलूम में विधि विरुद्ध जमाव कर बल्वा किये जाने, वादी मुकदमा को जान से मारने की नीयत से बंदूक व सरिया से मारपीट किये जाने, जान से मारने की धमकी व गाली–गलौच किये जाने का आरोप है, जिससे यदि वादी मुकदमा की मृत्यु हो जाती, तो अभियुक्त हत्या के अपराध का दोषी होता।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ संलग्न शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। दिनांक 20.06.2023 व उसके बाद की तिथियों पर उसके न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण एन0बी0डब्लू0 जारी हो गए। वह मजदूरी करने पंजाब चला गया था, जहां पीलिया रोग से पीड़ित हो गया। वह अपना देशी इलाज कराता रहा। ठीक होने के बाद 10 फरवरी, 2025 को जब वह घर आया, तो पुलिस दिनांक 15.02.2025 को उसे घर से पकड़कर ले गयी और दिनांक 19.02.2025 को उसका चालान कर दिया। उसे दिनांक 02.04.2025 को मुरादाबाद जेल से तलब कर धारा–309 दं0प्र0सं0 का वारन्ट बनाया गया। उसने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। भविष्य में वह समय पर अदालत आता रहेगा और जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

Digitally signed by KRISHNA KUMAR SINGH
Date: 2026.03.09 16:29:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना गया एवं समस्त अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

6. अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। प्रार्थी/अभियुक्त के गैर हाजिर होने के कारण उसके विरुद्ध एन0बी0डब्लू0 जारी किये जाने का आदेश पारित हुआ। दिनांक 02.04.2025 को अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष जेल से तलब किये जाने का प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके आधार पर अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आया और उसका वारन्ट धारा–309 दं0प्र0सं0 बनाकर उसे जिला कारागार, मुरादाबाद भेजा गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त उक्त दिनांक 02.04.2025 से ही जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त को गुणदोष पर पूर्व में ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार है, तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त गुलाम द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा रुपए 50,000–50,000/– की धनराशि के दो प्रतिभूगण एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र निष्पादित करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए कि–

1– प्रार्थी/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः संलिप्त नहीं होगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।

3– प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अभियोजन साक्षीगण को न डराएगा और न ही धमकाएगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा।

4– प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।

दिनांक–09.03.2026

(कृष्ण कुमार सिंह)
(आई0डी0 नं0–यू.पी. 6386)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–02, मुरादाबाद